



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-1

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 256572 दिनांक 27/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Vishnu Kumar Rav S/o PRABHU NARAYAN एवं Mahendra Choudhary S/o SHARVAN LAL TAKAR	श्री कैलाश चन्द कुमावत पुत्र श्री लखन लाल	243	120.00 SQ. METER	JDA	BALMUKUN DPURA Sector/Block-A	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री विष्णु कुमार राव पुत्र श्री प्रभुनाराण एवं श्री महेन्द्र चौधरी पुत्र श्री श्रवण लाल ताकर द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना बालमुकुन्दपुरा के भूखण्ड संख्या ए-243 क्षेत्रफल 120.00 वर्गमीटर का लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड क्रमांक 1506 दिनांक 21.03.2005 द्वारा श्री कैलाश चन्द कुमावत पुत्र श्री लखन लाल के पक्ष में जारी की गयी है। तत्पश्चात रजि.मु.आम दिनांक 28.10.2005 द्वारा श्री कैलाश चन्द कुमावत



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								द्वारा श्रीमती सरिता देवी पत्नि श्री उपेन्द्र नाथ को मु.आम. नियुक्त किया गया एवं बेचान के अधिकार प्रदान किये गये। तत्पश्चात श्रीमती सरित देवी बहैसियत मु.आम श्री कैलाश चन्द कुमावत ने रजि. विक्रय पत्र दिनांक 13.06.2006 द्वारा श्री रौनक मित्तल पुत्र श्री सतीश मित्तल को बेचान किया गया। तत्पश्चात श्री रौनक मित्तल द्वारा रजि. विक्रय पत्र दिनांक 24.08.2009 को श्री मनु पालीवाल पुत्र श्री जगदीश चन्द्र पालीवाल को बेचान किया गया है। तत्पश्चात श्री मनु पालीवाल ने रजि. विक्रय पत्र दिनांक 18.03.2024 को आवेदक श्री विष्णु कुमार राव पुत्र श्री प्रभुनाराण एवं श्री महेन्द्र चौधरी पुत्र श्री श्रवण लाल ताकर को बेचान किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Vishnu Kumar Rav S/o PRABHU NARAYAN एवं Mahendra Choudhary S/o SHARVAN LAL TAKAR को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।